

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 58/2022 वादपत्र धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- रामसिंह पिता शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- ताराकुंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 3- संतोषकुंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- कैलाशसिंह पिता लालसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा देवरी पटवार हल्का भाणुजा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- रामसिंह पिता शिवसिंह तारा कुंवर, संतोष कुंवर पिता शिवसिंह राजपूत नि. देवरी

आ. नं.	रकबा	लगान
292	0.10	-
293	0.08	-
334	0.33	9.90
331/1	0.05	1.50
4	0.56	11.40

- 2- कैलाशसिंह पिता लालसिंह राजपूत नि. देवरी

आ. नं.	रकबा	लगान
333 मी.	0.06	1.80
336	0.01	-
337	0.01	-
338	0.27	5.13
475/651	0.02	0.14
476/652	0.01	0.07
6	0.38	7.21

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक : 29/08/2025

क्रमांक : राजस्व/2025/147

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 58/2022

वादपत्र धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- रामसिंह पिता शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- ताराकुंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 3- संतोषकुंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- कैलाशसिंह पिता लालसिंह राजपूत नि. देवरी तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा देवरी पटवार हल्का भाणुजा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- रामसिंह पिता शिवसिंह तारा कुंवर, संतोष कुंवर पिता शिवसिंह राजपूत नि. देवरी

आ. नं.	रकबा	लगान
292	0.10	-
293	0.08	-
334	0.33	9.90
331/1	0.05	1.50
4	0.56	11.40

- 2- कैलाशसिंह पिता लालसिंह राजपूत नि. देवरी

आ. नं.	रकबा	लगान
333 मी.	0.06	1.80
336	0.01	-
337	0.01	-
338	0.27	5.13
475/651	0.02	0.14
476/652	0.01	0.07
6	0.38	7.21

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी